म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. 2466 दिनांक 06/10/23

क्रमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.आयोग,भोपाल/अका–1/2023–24

//आदेश//

मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित की गई निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 187 वीं सभा की बैठक दिनांक 04/10/2023 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में विक्रांत विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम को शैक्षणिक सत्र 2023–24 से तालिका में दर्शित सीट संख्या के अनुसार संचालन करने की अनुमति निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

क्र.	संकाय	पाठ्यक्रम का नाम	वर्तमान में स्वीकृत सीट संख्या (धारा 9 'ख' अनुसार)	प्रस्तावित नवीन/ वृद्धि सीट संख्या	स्वीकृत कुल सीट संख्या	संबंधित विनियामक परिषद का आदेश तथा दिनांक	प्रकाशित अध्यादेश क्रमांक
1	Vikrant Institute of Integrated Learning and Advanced Studies	M. Com	-	60	60	-	15
2	Vikrant Institute of Technology and Management	B. Tech (Artificial Intelligence & Machine Learning)	-	60	60	–	72
		B. Tech (Cyber Security)	-	60	60		
		B. Tech (Chemical Engineering)	-	60	60		
		B. Tech (Electronics and Robotics)	-	60	60		
3	School of Pharmacy	D Pharm.	-	60	60	पीसीआई 8477 दिनांक 08.09.2023	45
		B. Pharm.	-	60	60		46

शर्तें :–

1. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं अन्य संबधित परिषदों के मापण्दडों के अनुसार अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं अन्य संबधित परिषदों मापण्दडों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
3. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबन्धित विनियामक परिषदों की गाईडलाईन के अनुसार दिये जायेगें।

06/10/

निरंतर...2

कार्यालय : ज्ञान वाटिका, वाल्मी रोड, कलियासोत डेम के सामने भोपाल- 462016 (म.प्र.) ई-मेल : Sec.mppurc@gmail.com, वेबसाइट : mpnvva.in, फोन : 0755-2490322

Office : Gyan Vatika, Walmi Road, Opposite Kaliyasot Dam, Bhopal-462016 (M.P.) Email : Sec.mppurc@gmail.com, Website : mpnvva.in, Phone : 0755-2490322

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईड लाईन/मापदण्डों का पालन सुनिशिचत किया जाना अनिवार्य होगा।

5. विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्याकन अनिवार्यतः कराना होगा।

7. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक एजेंसियों से ग्रेडिंग/मूल्याकंन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा तथा पाठयक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रेकिंग संस्था/ऐजेंसियो के मापदण्डों की पूर्ति करना होगा।

8. यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित करना होगा।

9. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।
(मा. अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)

26/10/2023

(डॉ. के.पी. साहू)
सचिव
म0प्र0नि0वि0वि0वि0आयोग, भोपाल

पृष्ठांकन...../ म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल/अका–1/2023–24 **दिनांक /10/2023**

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक के माध्यम से मा. अध्यक्ष महो. म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल।
2. कुलसचिव, विक्रांत विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
6. मूल नस्ती।

सचिव
म0प्र0नि0वि0वि0वि0आयोग, भोपाल